

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3) शासन सचिवालय, जयपुर
Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com



क्रमांक: एफ 40(77)ग्रावि/नरेगा/कन्वर्जेन्स-पीडब्ल्यूडी/2014

जयपुर, दिनांक:

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर, समस्त।

29 FEB 2016


विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सड़क निर्माण कार्यों हेतु निजी भूमि पर प्रचलित आम रास्ते के लिए सम्बन्धित काश्तकार से सहमति शपथ-पत्र बाबत।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जोधपुर जिले द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सड़क निर्माण कार्यों हेतु निजी भूमि पर प्रचलित आम रास्ते के लिए सम्बन्धित काश्तकार से समर्पण/सहमति हेतु समझौता-पत्रक का प्रारूप राज्य स्तर से निर्धारित करवाये जाने हेतु आग्रह किया गया है। इस सम्बन्ध में लेख है कि इन कार्यों की स्वीकृति जारी करने से पूर्व भूमि उपलब्ध होने का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी से प्राप्ता कर लिया जावे। सम्बन्धित ग्राम पंचायत अथवा विभाग के पक्ष में भूमि समर्पण करवाकर भूमि का नामान्तरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत अथवा विभाग के पक्ष में करा दिया जावे। उक्त समर्पित भूमि का नियमानुसार पंजीयन करवाया जावे। भूमि के सभी स्वामियों से भूमि समर्पण/सहमति हेतु समझौता पत्रक (Memorandum of Understanding) हस्ताक्षरित करवाया जावे। उक्त समझौता पत्रक का प्रारूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर को पत्रांक-महात्मा गांधी नरेगा/तकनीकी/2015-16/11779 दि० 04.01.2016 के क्रम में सूचनार्थ।
2. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त (जिला जोधपुर को छोड़ कर)।
3. श्री रिकू एमआईएस मैनेजर को ईमेल करने बाबत।


26.2.2016

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

P.T.O.

समझौता-पत्रक
(Memorandum of Understanding)

यह समझौता पत्रक दिनांक (तिथि अनुसार शक सम्वत्) का श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी (जो कि प्रथम पक्ष है) एवं राजस्थान राज्य के राज्यपाल की और से श्री तहसीलदार, तहसील (जो कि द्वितीय पक्ष है) के मध्य तैयार किया गया है।

1. यह कि प्रथम पक्ष ग्राम, तहसील, जिला में खसरा संख्या ... की एकड़ भूमि का स्वामी है/के स्वामी है और उसे/उन्हें इस भूमि को स्थानान्तरित करने का अधिकार है।
2. यह कि प्रथम पक्ष उक्त भूमि को महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम के लिए सड़क निर्माण एवं विकास के लिए सार्वजनिक हितार्थ द्वितीय पक्ष को समर्पित करता है।
3. यह कि प्रथम पक्ष उक्त भूमि के समर्पण की एवज में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग नहीं करेगा।
4. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त अनुदानित/समर्पित भूमि को उक्त बिन्दु संख्या 2 में अंकित प्रयोजनार्थ उपयोग करने के लिए सहमत है।
5. यह कि द्वितीय पक्ष महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत इस सड़क का निर्माण और विकास करेगा तथा इस सड़क के दोनों ओर की भूमि को नुकसान से बचाने के लिए हर सम्भव सावधानी रखेगा।
6. यह कि प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को यह विश्वास दिलाता है कि वह इस प्रकार निर्मित एवं विकसित सड़क के रख-रखाव के लिए हर सम्भव उपाय करेगा, जब तक कि राजस्थान सरकार इसके रख-रखाव वास्ते कोई वृहद नीति प्रतिपादित नहीं करती है। वह इस सड़क को जानबूझकर तोड़ने की अथवा इस सड़क पर सार्वजनिक आवागमन और यातायात साधनों को रोकने की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
7. यह कि दोनों पक्ष इस पर सहमत है कि इस प्रकार निर्मित महात्मा गांधी नरेगा सड़क सार्वजनिक परिसम्पत्ति होगी।
8. यह कि इस समझौता पत्र के बिन्दु संख्या 1-7 में अंकित प्रावधान इस विलेख पर हस्ताक्षर की दिनांक से लागू होंगे।
इस विलेख पर उक्त लिखित दिवस एवं वर्ष को निम्न गवाहों की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किये हैं।

(प्रथम पक्षकार के
हस्ताक्षर)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

गवाह 1. हस्ताक्षर
(नाम व पता)

गवाह 1. हस्ताक्षर
(नाम व पता)

गवाह 2. हस्ताक्षर
(नाम व पता)

गवाह 2. हस्ताक्षर
(नाम व पता)